लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश ।

हमारे बारे में -

उद्देष्य - विभाग का मुख्य उद्देष्य

परिदृष्य -

विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं-

लघु सिंचाई विभाग

लघु सिंचाई विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों को सिंचाई के मामले में आत्म निर्भर बनाना है। लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित हैं–

1. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना।
2. वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन।
3. ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग/चेकडैमों के निर्माण की योजना।

1. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजनाः–

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के घटकवार विवरण निम्नवत् हैः–

(अ) उथले नलकूपः – योजना में अधिकतम 30 मीटर तक की गहराई में बोरिंग सेट द्वारा बोरिंग की जाती है। इसमें सामान्य श्रेणी के लघु, सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु बोरिंग के अनुदान क्रमशः रू0 11000.00, रू0 15400.00 एवं रू0 19800.00 अधिकतम अनुदान अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त पम्पसेट की स्थापना पर सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को पम्पसेट पर अधिकतम क्रमशः रू0 18000.00, रू0 25200.00 एवं रू0 32400.00 का अनुदान देय है। उक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त सभी श्रेणी के 25 प्रतिशत लाभार्थियों को जल वितरण हेतु अधिकतम रू0 4800.00 का अनुदान दिया जा रहा है।

(ब) मध्यम गहरे नलकूप– योजनान्तर्गत 31 मीटर से 60 मीटर तक की गहराई की बोरिंग की जाती है। इसमें लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 175000.00 का अनुदान कृषकों को दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर जल वितरण के लिए एच0डी0 पी0ई0 पाइप सिंचाई प्रणाली योजना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 14000.00 का अनुदान भी पृथक से दिया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य अनुदान की धनराशि रू0 68000.00 भी दिया जा रहा है। इस प्रकार मध्यम गहरी बोरिंग योजना में अधिकतम रू0 257000.00 का अनुदान अनुमन्य है।

(स) गहरे नलकूप – योजना में 61 मीटर से 90 मीटर गहराई की बोरिंग हैवी रिग मशीन से की जाती है। इसमें लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 265000.00 का अनुदान कृषकों को दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर जल वितरण के लिए एच0डी0पी0ई0 पाइप सिंचाई प्रणाली योजना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 14000.00 का अनुदान भी पृथक से दिया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य अनुदान की धनराशि रू0 68000.00 भी दिया जा रहा है। इस प्रकार गहरी बोरिंग योजना में अधिकतम रू0 347000.00 का अनुदान अनुमन्य है।

(द) - लघु सीमान्त कृषकों हेतु पूर्व निर्मित उथले नलकूपों पर पम्पसेट, वाटर टैंक (हौज) व जल वितरण प्रणाली की स्थापना–

योजनान्तर्गत ऐसे कृषक जो बोरिंग करवाने के उपरान्त किराये के पम्पसेट से सिंचाई का कार्य करते है, परन्तु आवश्यकता के समय पम्पसेट किराये पर न मिलने के कारण उनकी कृषि उत्पादकता एवं आय प्रभावित होती है। ऐसे कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लघु/ सीमान्त श्रेणी के कृषक लाभार्थी, जो विभागीय योजनाओं में वर्ष 2015-16 से लाभान्वित हुए हो, को पूर्व निर्मित उथले

नलकूपों पर पम्पसेट हेतु सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को पम्पसेट पर अधिकतम क्रमशः रू0 18000.00, रू0 25200.00 एवं रू0 32400.00 का अनुदान देय है। इसके अतिरिक वाटर टैंक) हौज (निर्माण हेतु सभी श्रेणी के कृषकों को रू0 31500.00 का अधिकतम अनुदान अनुमन्य है। जल वितरण प्रणाली की स्थापना हेतु सभी श्रेणी के कृषकों को रू0 4800.00 का अनुदान अनुमन्य है।

(य-(05 वर्ष से अधिक के पूर्व निर्मित चेकडैमों का मरम्मत -लघु सिंचाई विभाग द्वारा कई योजनाओं यथा -जिला योजना, बुन्देलखण्ड पैकेज, राज्य पेयजल संरक्षण मिशन एवं आर0आई0डी0एफ0 आदि के अन्तर्गत विगत कई वर्षों से नदी/नालों पर चेकडैम का निर्माण किया गया है। निर्माण के पश्चात् विभाग में इनके अनुरक्षण हेतु कोई मद/योजना नहीं है। जिससे क्रमशः इनका क्षरण होता रहता है और अन्ततः यह अनुपयोगी हो जाते है। योजना में ऐसे चेकडैम जिनके निर्माण में 05 वर्ष से अधिक का समय हो गया है उनकी मरम्मत कर उनको उपयोगी बनाये रखने का प्रस्ताव है।

(र-(विन्ध्य व बुन्देलखण्ड के पठारी क्षेत्र हेतु नये ब्लास्ट कूप का निर्माण कार्य -

बुन्देलखण्ड क्षेत्र सहित अन्य पठारी क्षेत्र यथा -जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज व चन्दौली आदि जनपदों में बोरिंग द्वारा सफल रूप से जल प्राप्त न होने के कारण इस विशेष योजना में ब्लास्ट कूप का निर्माण कराया जाना है। इससे जल संकटयुक्त क्षेत्रों के कृषकों की जल संसाधन पर आत्म निर्भरता बढेगी एवं जल संसाधन का प्रयोग करते हुए उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। योजना में सभी श्रेणी के कृषकों को ब्लास्ट कूप निर्माण हेतु अधिकतम रू0 1000000.00, पम्पसेट स्थापना हेतु रू0 32400.00 एवं जल वितरण प्रणाली स्थापना हेतु रू0 27000.00 का अनुदान अनुमन्य है।

(ल-(वर्षा जल संभरण/रिचार्ज की महत्ता के दृष्टिगत रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना -प्रदेश में गिरते भूजल स्तर हेतु वर्षा जल का संभरण करके पानी की उपलब्धता बढ़ाने का एक सुलभ एवं पर्यावरण के अनुकूल विधि, छत के ऊपर प्राप्त वर्षा जल का संचयन करना है। योजना में प्रदेश के सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना कर छत पर प्राप्त होने वाले वर्षा जल को भूजल संभरण में उपयोग हेतु कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

2. वर्षा जल संचयन एंव भूजल संवर्द्धन-

वर्तमान में प्रदेश के 54 अतिदोहित एवं 46 क्रिटिकल विकास खण्ड है। उक्त विकास खण्डों के अतिदोहित/क्रिटिकल की श्रेणी में आ जाने के कारण भूजल स्रोतो की निरंतरता को कायम रखना प्रदेश के कृषि विकास के लिए अति आवश्यक है। अतः यह अपरिहार्य हो जाता है कि इन विकास खण्डों में भूगर्भ जल उपलब्धता की संकटग्रस्त स्थिति को वर्षा जल संचयन एवं रिचार्जिंग योजनाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से सुधारा जाए। योजना के अन्तर्गत 01 हेक्टेयर से 05 हेक्टेयर क्षेत्रफल के तालाबों का पुनर्विकास एवं प्रबन्धन किया जा रहा है।

3. ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिगं अन्तर्गत चेकडैम के निर्माण की योजनाः-

□□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□-□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□/□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□

विभागीय बजट -

ई-नागरिक - सूचना का अधिकार अधिनियम -2005

ई-निविदा - लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्यो

की निविदा प्रकाषित की जाती है।

नया क्या है -

गैलरी - वीडियो, फोटो अपलोड

सम्पर्क - निर्देषिका नये नाम

विभागीय लिंक

भर्ती सूचना

महत्वपूर्ण लिंक

आधारभूत आकड़े मार्च,2024 तक

मासिक प्रगति रिपोर्ट (एम0पी0आर0) अक्टूॅबर,2024 तक

कार्यालय पता - कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेष, तृतीय तल, जवाहर भवन, लखनऊ। पिनकोड - 226001